MOONGIPA
SECURITIES LTD.

July 25, 2019

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, We hereby intimate that the Company has published a Notice informing the details of 25th Annual General Meeting to be held on August 22, 2019 in newspaper viz. 'Mahalaxmi Bhagyoday' (Hindi) & 'Money Makers' (English) dated July 25, 2019. Copy of notice is enclosed for your reference.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,

For **Moongipa Securities Limited**

Sajeev

MOONGIPA SECURITIES LTD.

Sajeev Jain
Company Secretary and Compliance Officer

(CIN : L74899DL1994PLC057941)
Regd. Office : 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005, Ph.: 011-41450121
E-mail : moongipas@gmail.com, Website : www.moongipa.net

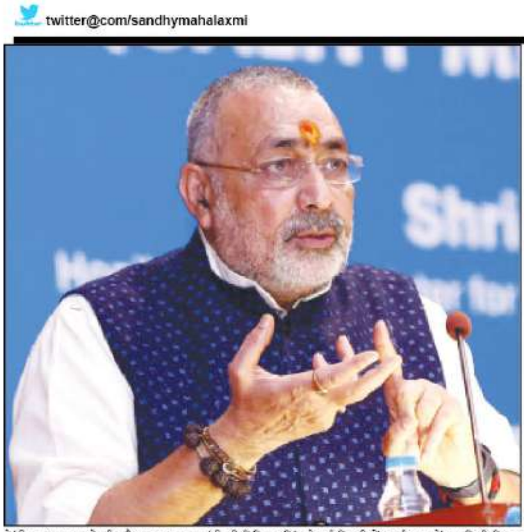

केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में कार्यशाला में क्वालिटी मिल्क कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए।

देश में पहली बार सबसे पहले गुरुग्राम में हर परिवार की बनेगी आइडी

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई

चौंकिए मत, साइबर सिटी में रहने वाले परिवारों की फैमिली आइडी (पहचान) तैयार की जाएगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार द्वारा पोर्टल तैयार कर लिया गया है। पोर्टल से परिवार का ब्योरा डाउनलोड कर परिवार के मुखिया से उसका सत्यापन कराया जाएगा। इस काम से पहले सरकारी विभागों के कर्मचारियों का डाटा सत्यापित कराया जाएगा।

यह जानकारी जिला उपायुक्त अमित खत्री ने दी।उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी परिवारों का डाटा बैंक तैयार करने को लेकर पिछले दिनों सर्वेक्षण कराया गया था। इसी के आधार पर प्रत्येक परिवार की आइडी बनेगी। इससे

पहले परिवार के मुखिया से उसके परिवार के डाटा का सत्यापन कराया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिवार की आइडी को जारी किया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त जिला रजिस्ट्रार होंगे। उपायुक्त ने बताया कि जिले में प्रत्येक परिवार का डाटा सत्यापन करने के लिए अटल सेवा केंद्रों, सरल केंद्रों, तहसील कार्यालयों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। डाटा सत्यापन को लेकर प्रशासन का प्रयास रहेगा कि व्यक्ति को उसके घर के पास ही यह सुविधा मिले। उन्होंने बताया कि शुरू में सरकारी कर्मचारियों का डाटा सत्यापित कराया जाएगा। प्रदेश में लगभग सात लाख सरकारी कर्मचारी हैं। वित्त

पोर्टल से परिवार का ब्योरा डाउनलोड कर परिवार के मुखिया से उसका सत्यापन कराया जाएगा। इस काम से पहले सरकारी विभागों के कर्मचारियों का डाटा सत्यापित कराया जाएगा।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय के कर्मचारियों के परिवारों के ब्योरे को सत्यापित करा खजाना अधिकारी के पास लिखित में भेजें। इसी के बाद अगस्त में मिलने वाला जुलाई का वेतन जारी किया जाएगा।

अमित खत्री ने कहा कि परिवार की आइडी तैयार होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। इस कार्य में पारदर्शिता भी आएगी। परिवार आइडी का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे सरकारी सेवाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने में आसानी होगी और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह पहचान पत्र संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवारों के लिए तैयार किए जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं इस काम में काफी रुचि ले रहे हैं। परिवार आइडी का सबसे बड़ा उद्देश्य रोजगार और परिवारों को समृद्ध बनाना है। इस प्रकार की आइडी नंबर देने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश बनेगा। इसे इसे लेकर काफी हद तक काम शुरू हो चुका है। इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से काम चल रहा है।

भाजपा का केजरीवाल पर निशाना

दिल्ली सरकार लोगों को दे रही धोखा

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई

विधानसभा का चुनाव नजदीक है और सभी दल एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने

कहा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक है और केजरीवाल दिल्ली वालों को गुमराह करने में लग गए हैं। 54 माह बाद दिल्ली सरकार 26 बसें लाने का फैसला करके दिल्ली के लोगों के साथ धोखा कर रही है। दिल्ली में 20 हजार बसों की जरूरत है, जबकि मात्र 35 सौ बसें उपलब्ध हैं। पहली बार मुख्यमंत्री के झूठ और अकर्मण्यता का जवाब देने के लिए मंगलवार को शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को प्रेसवार्ता करनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जब केंद्र सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है तो वह श्रेय लेने की कोशिश में जुट गए हैं। केंद्र सरकार के प्रयास को झुठलाते हुए कह रहे हैं प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना नहीं चाहते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की देन का झूठा श्रेय लेने के बजाय मुख्यमंत्री को सकारात्मक काम करना चाहिए। उन्होंने दिल्ली सरकार से अनधिकृत कॉलोनियों में महिलाओं को निःशुल्क रजिस्ट्री करने की मांग की। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले के लिए दिल्ली भाजपा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को सम्मानित करेगी।

दिल्ली में गोली मारकर एक शख्स की हत्या

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई

उत्तर-पूर्व दिल्ली के दुर्गापुरी चौक पर बुधवार सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पायी है।

बताया जा रहा है कि दुर्गापुरी चौक पर बुधवार सुबह अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्श पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से शख्स लहुलुहान हो गया। मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

इससे पहले सोमवार को प्रेम नगर इलाके में नौवीं कक्षा के छात्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान अभिषेक (14) के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि वारदात को किसी जानकार ने ही अंजाम दिया है। अभिषेक परिवार के साथ प्रेम नगर में रहता था। वह निठारी स्थित स्कूल में पढ़ता था। अभिषेक की बड़ी बहन की शादी 11 मई को थी। पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद स्थित फतेहगढ़ गांव चला गया था। शादी के बाद अभिषेक के पिता दर्शनलाल की तबीयत खराब हो गई, जिससे अभिषेक बड़े भाई रवि के साथ रविवार दिल्ली आ गया।

सोमवार रात को वह ऊपर कमरे में सोने गया, जबकि अभिषेक नीचे के कमरे में सो गया। सुबह जब वह नहीं उठा तो रवि ने आवाज दी। नीचे आने पर उसने देखा कि अभिषेक चारपाई के नीचे पड़ा है और गले में प्लास्टिक की रस्सी पड़ी है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, भूतल पर दो किरायेदार रहते हैं। घर का गेट अंदर से बंद था। इसलिए हत्या का शक घर में मौजूद लोगों पर ही है।

मुफ्त सफर योजना पर अमल शुरू

हर महिला यात्री पर 10 रुपए खर्च करेगी केजरी सरकार

नई दिल्ली, 24 जुलाई (ह.स.)

महिलाओं को बस-मेट्रो में मुफ्त सफर का वादा कर चुकी दिल्ली सरकार ने इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। सरकार बस की प्रत्येक महिला यात्री पर 10 रुपये खर्च करेगी। महिला यात्री चाहे एक किलोमीटर सफर करे या फिर 15 किलोमीटर जाए। डीटीसी ने यह प्रस्ताव परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेज दिया है। उनकी मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट के लिए भेज दिया जाएगा। पहले बस में लागू होगीः सरकार ने मेट्रो और डीटीसी दोनों से प्रस्ताव बनाने के लिए कहा था। मेट्रो ने योजना को लागू करने के लिए कम से कम आठ माह का समय मांगा, साथ ही किराया निर्धारण समिति की मंजूरी को जरूरी बताया। उसमें देरी को देखते हुए सरकार ने मेट्रो से पहले डीटीसी बसों में इसे लागू करने का फैसला लिया है। विभागों को उसके हिसाब से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। किराये का आधार तयः सरकार के सामने यह मुश्किल थी कि आखिर सब्सिडी का आधार क्या होगा। कितनी महिलाओं के हिसाब से दिया जाएगा। अब सरकार के सामने विभाग ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके मुताबिक सरकार को प्रत्येक महिला यात्री पर 10 रुपये की सब्सिडी देनी होगी। महिला चाहे पांच रुपये टिकट के बराबर सफर करे या फिर 15 रुपये के बराबर की दूरी तय करें। सरकार को एक औसतन सब्सिडी प्रत्येक महिला यात्री पर देना होगा। प्रस्ताव के मुताबिक, बसों में महिला यात्रियों को गुलाबी रंग का एक टोकन या टिकट दिया जाएगा। इसका पैसा नहीं लिया जाएगा।

त्रिलोकपुरी सिख दंगे में 33 लोगों को जमानत

नई दिल्ली, 24 जुलाई (ह.स.)

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 1984 की सिख विरोधी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए 33 लोगों को जमानत दे दी है। इसके अलावा इस मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बाकी दोषियों की याचिका पर बाद में सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि पहले अदालत ने सात दोषियों को बरी कर दिया था, इस पर पुलिस ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। ऐसे में इन लोगों को भी बरी नहीं किया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स - 2019 का शुभारंभ किया। सचिव, DPIIT, श्री रमेश अभिषेक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

कन्हैया कुमार पर केस के लिए केजरीवाल सरकार को दो माह का वक्त

नई दिल्ली, 24 जुलाई (ह.स.)

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए अदालत ने सरकार को दो महीने का समय दिया है। पटियाला हाउस स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना की अदालत ने मंगलवार को यह आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर और समय मांगा था कि संबंधित प्रशासन से उसे मंजूरी नहीं मिली है। अदालत ने पुलिस उपायुक्त से मंजूरी हासिल करने के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी और इस पर सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे मंजूरी के संबंध में दिल्ली सरकार के गृह विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार, उमर खालिद एवं अनिर्बान भट्टाचार्य समेत विश्वविद्यालय के कई अन्य पूर्व विद्यार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वे 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने उस कार्यक्रम में लगाए गए राजद्रोही नारों का समर्थन किया था। अदालत ने पुलिस को इस मामले में कुमार और अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था।

जैश के 3 आतंकियों को पकड़ने के लिए पंडित पुलिसकर्मी बन गया मोहम्मद गनी

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई

स्पेशल सेल में तैनात पुलिसकर्मी ने पांच साल से फरार तीन कश्मीरी आतंकियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए न सिर्फ कश्मीरी वेशभूषा अपनाई, बल्कि स्थानीय भाषा भी सीखी। इस पंडित पुलिसकर्मी ने कश्मीरियों के बीच घुलने मिलने को मुस्लिम-कश्मीरी तौर तरीके भी सीखे। पुलिसकर्मी की सूचना पर स्पेशल सेल ने दो-दो लाख रुपये के इनामी इन तीनों आतंकियों को चार माह में श्रीनगर और आसपास के इलाकों से गिरफ्तार कर लिया।

दरअसल, स्पेशल सेल ने दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने आए जैश ए मोहम्मद के चार आतंकियों को वर्ष 2007 में गिरफ्तार किया था। इनमें पाकिस्तान निवासी शाहिद गफूर, बारामुला

निवासी अब्दुल मजीद व बशीर अहमद और कुपवाड़ा निवासी फैयाज अहमद शामिल थे। इन पर गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। स्थानीय अदालत ने वर्ष 2013 में शाहिद गफूर को दोषी करार दिया, जबकि बाकी तीन को बरी कर दिया था। मगर दिल्ली पुलिस की अपील पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में तीनों को दोषी माना।

हालांकि, सजा सुनाए जाने से पहले ही तीनों फरार हो गए। तब से इनका कोई पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि तीनों आतंकी कश्मीर में छुपे हैं, मगर वहां पर दिल्ली पुलिस का नेटवर्क नहीं था, जिसके सहारे आतंकियों की सटीक लोकेशन पता की जा सके। इसके बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने जासूस के तौर पर श्रीनगर में अपने एक पुलिसकर्मी को भेजने का निर्णय लिया।

कश्मीर के रहने वालों की तरह दिखने के कारण हेडकांस्टेबल सुरेश वत्स को चुना गया। बड़ी चोटी रखने वाले सुरेश वत्स की वेशभूषा कश्मीरी रहन सहन के अनुसार की गई। साथ ही उन्हें कश्मीरी भाषा, स्थानीय लहजा और रीति रिवाज के बारे में समझाया गया। पूरी ट्रेनिंग के बाद बीती जनवरी में सुरेश को मोहम्मद गनी के नाम से श्रीनगर भेज दिया गया। उन्हें खुद को श्रीनगर के आसपास के ही इलाके का रहने वाला बताना था। हालांकि, इसमें खतरा भी था। मगर वह अपना काम बखूबी करते रहे और तीनों आतंकियों के बारे में सटीक सूचना देकर उन्हें पकड़वा दिया।

स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार, हेडकांस्टेबल सुरेश वत्स छह महीने तक वेश बदलकर श्रीनगर, बारामुला और कुपवाड़ा इलाकों में घूमते रहे। वह स्थानीय लोगों से बात करते और अलग-अलग थानों में पुलिसकर्मियों से मिलते।

उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई, जब उनकी सूचना पर पहले 25 मार्च को फैयाज अहमद और फिर 11 मई को अब्दुल मजीद को श्रीनगर के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 15 जुलाई को बशीर अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड
CIN: L65993DL1987PLC028669
पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोन : 011-41450121
ई-मेल moongipac@gmail.com वेबसाइट : www.mongipa.com

32वीं आम वार्षिक बैठक, बुक क्लोजर एवं रिमोट ई-वोटिंग सूचना का नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड** की **32वीं आम वार्षिक बैठक** (एजीएम) **गुरुवार, 22 अगस्त 2019 को प्रातः 10.00 बजे, भान फार्म कुतुब गढ़ रोड, टटेसर विलेज, दिल्ली-110081** में होगी, जिसमें एजीएम नोटिस में निर्धारित कारोबार के रूप में लेनदेन होगा।

एजीएम की नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ पंजीकृत है। यह कंपनी की वेबसाइट www.mongipa.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेजी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी के नियम और विनियमन 44 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग विनियम'), के संदर्भ में, कंपनी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('ई -वोटिंग') प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग पर विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना देखें। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, सदस्य सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002005533 पर कॉल करें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1) ई-मतदान अवधि सोमवार, 19 अगस्त, 2019 (प्रातः 9.00 बजे) से शुरू होगा और बुधवार, 21 अगस्त, 2019 (सायं 5:00 बजे) को समाप्त होगा। रिमोट ई-वोटिंग को उपरोक्त तिथि और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।

2) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या जमाकर्ताओं द्वारा रखी गई लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ डेट शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 को दर्ज किया गया है, केवल दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का और एजीएम में मतदान का हकदार होगा।

3) जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे मतदान के जरिए एजीएम में अपने वोट डाल सकते हैं।

4) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करने के बाद भी एक सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 के रूप में शेयर धारण करता है, रिमोट ई-वोटिंग के लिये उसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जैसा कि एजीएम की सूचना में उल्लिखित है या लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सीडीएल को evoting@cdsl.co.in पर या कम्पनी को moongipac@gmail.com पर लिख सकते हैं। हालांकि, अगर ऐसे शेयरधारक पहले ही सीडीएसएल के साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो वोट कास्टिंग करने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 91 के संदर्भ में, इसके तहत बनाए गए नियम और लिस्टिंग विनियमों का विनियमन 42, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 19 अगस्त, 2019 से गुरुवार, 22 अगस्त, 2019 (दोनों दिन शामिल करके) एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कृते मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड
हस्ता/-
गुलशन आहूजा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई, 2019

मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड
CIN: L74899DL1994PLC057941
पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोन : 011-41450121
ई-मेल moongipas@gmail.com वेबसाइट : www.moongipa.net

25वीं आम वार्षिक बैठक, बुक क्लोजर एवं रिमोट ई-वोटिंग सूचना का नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड** की **25वीं आम वार्षिक बैठक** (एजीएम) **गुरुवार, 22 अगस्त 2019 को प्रातः 11.00 बजे, भान फार्म, कुतुब गढ़ रोड, टटेसर विलेज, दिल्ली-110081** में होगी, जिसमें एजीएम नोटिस में निर्धारित कारोबार के रूप में लेनदेन होगा।

एजीएम की नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ पंजीकृत है। यह कंपनी की वेबसाइट www.moongipa.net पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेजी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी के नियम और विनियमन 44 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग विनियम'), के संदर्भ में, कंपनी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('ई -वोटिंग') प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग पर विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना देखें। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, सदस्य सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002005533 पर कॉल करें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1) ई-मतदान अवधि सोमवार, 19 अगस्त, 2019 (प्रातः 9.00 बजे) से शुरू होगा और बुधवार, 21 अगस्त, 2019 (सायं 5:00 बजे) को समाप्त होगा। रिमोट ई-वोटिंग को उपरोक्त तिथि और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।

2) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या जमाकर्ताओं द्वारा रखी गई लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ डेट शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 को दर्ज किया गया है, केवल दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का और एजीएम में मतदान का हकदार होगा।

3) जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे मतदान के जरिए एजीएम में अपने वोट डाल सकते हैं।

4) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करने के बाद भी एक सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 के रूप में शेयर धारण करता है, रिमोट ई-वोटिंग के लिये उसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जैसा कि एजीएम की सूचना में उल्लिखित है या लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सीडीएल को evoting@cdsl.co.in पर या कम्पनी को moongipas@gmail.com पर लिख सकते हैं। हालांकि, अगर ऐसे शेयरधारक पहले ही सीडीएसएल के साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो वोट कास्टिंग करने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 91 के संदर्भ में, इसके तहत बनाए गए नियम और लिस्टिंग विनियमों का विनियमन 42, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 19 अगस्त, 2019 से गुरुवार, 22 अगस्त, 2019 (दोनों दिन शामिल करके) एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कृते मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड
हस्ता/-
संजीव जैन
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई, 2019

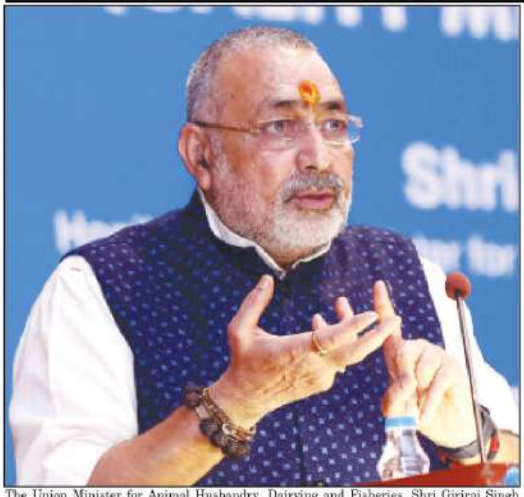
The Union Minister for Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Shri Giriraj Singh addressing the gathering at the Workshop on Quality Milk Programme, in New Delhi.

Gang posing as electricity dept officials busted, two held

MM BUREAU

New Delhi/ July 24

A gang of conmen who posed as electricity department officials to extort money from Delhi residents by pointing out genuine or dubious faults in their electricity meters has been busted with the arrest of two people, police said on Wednesday.

The gang had a network of informers who would tip them off about faults in the electricity meters of consumers or help identify vulnerable people, said Vijay Kumar, Deputy Commissioner of Police (south).

Their arrest led to the recovery of fake BSES identity cards, broken seals of 42 electricity meters and tools used for breaking or uprooting metres, said the officer. Identifying the arrested men as Brijesh Sharma, 30, and Sanjay Kumar, 43, the DCP said that they were caught from MB Road on Wednesday after a tip-off. They had similar cases against them in the past, said the officer.

The DCP said that the modus operandi of this gang was simple. Once their informers identified potential victims for them, the duo would visit those homes posing as officials from the BSES vigilance team.

"They would either create a fault in the electricity meter or point out a genuine one before threatening to impose hefty penalties on the residents. Most victims would get their metres reinstalled by paying money. If someone refused to pay up, they would quietly return the meter a few days later," said the officer.

What made this gang have a successful run was that most victims didn't approach the police with a formal complaint. "Those who didn't pay the extortionists would file a case of theft of metre. Others would simply register a lost report to apply for a new metre," said the DCP. Many of their crimes have been linked to online FIRs of theft. "We have recovered 42 broken seals of meter from them. This itself means they have targeted scores of people," said the officer. The BSES issued a statement saying that such gangs of imposters had become a menace. "In the last three-four years, over 30 such impostors have been apprehended and most of them arrested. These breakthroughs have come on the back of well-coordinated operations, involving the residents, smart sleuthing by BSES' Vigilance Teams and the Delhi Police," the statement said. "We appeal to our consumers not to get intimidated or induced by threats and/or false assurances of the 'impostors' and not give them any money – whatever be the reason. All fines and penalties and commercial payments are to be made only at designated BSES offices," a BSES spokesperson said. The BSES also advised its consumers to ascertain and verify the identity of persons, claiming to be from BSES, who visit their premises.

1.7km stretch in Delhi's CR Park to become a 'model street'

MM BUREAU

New Delhi/ July 24

The residents of south Delhi's CR Park have taken up the task of making their neighbourhood safe for pedestrians and to ensure "organised" traffic movement in the area.

The residents under the aegis of CR Park Green Community Initiative, a group of residents and urban planners, have tied up with government agencies such as Public Works Department (PWD) and the Delhi traffic police to develop Bipin Chandra Pal Road into a "model street".

The 1.7 km long Bipin Chandra Pal Road is one of the important roads in CR Park and one of the busiest stretches in the area. The road is majorly used by commuters on their way to Greater Kailash, Alaknanda and Chirag Dilli apart from the local residents.

According to PWD officials and the members of the Initiative, the plan contains every street elements such as the construction of an obstruction-free footpath, adequate number of street lights, functional traffic signals and blinkers, synchronisation of traffic lights, installation of all street signages and markings as per standard street guidelines. The plan will also ensure a designated lane for cyclists and non-motorised vehicles.

Ashok Bhattacharjee, convener of CR Park Green Community Initiative, said currently all the necessary street elements are missing on the stretch. For instance, there is a footpath but many of its portions are either broken or encroached and. The footpath is not continuous along the road and ends abruptly at some locations. The traffic signals don't work properly and lane marking is also absent. There is no pedestrian crossing signal and hence, the vehicular traffic and pedestrian movement is chaotic here, Bhattacharjee said. "The main aim of this exercise is to achieve safe pedestrian movement all along and across the entire length of the street and ensure the regulated movement of motorised traffic. The model street project was conceived and technical drawings were prepared after deliberation in group meetings and in consultation with the PWD team. It was approved last month," Bhattacharjee said. He also said under the plan the electricity wires running overheard, which not only make the area look ugly but also pose risk to commuters, would be laid underground. "The government agencies such as the PWD and the traffic police are on board on all the aspects. We have also roped in our area MLA Saurabh Bharadwaj to get the overhead electricity wires to be laid underground as part of this project," he added. A senior PWD official, who is familiar with the project, confirmed the development and said that redevelopment of the stretch was very much required as the road witnesses a heavy vehicular and pedestrian movement. "It is a community driven initiative which includes redevelopment of Bipin Chandra Pal Marg.

The project was given necessary administrative approval and an amount was sanctioned for it last month. ₹3.5 crore has been approved for the work," the PWD official, who did not wish to be named, said. Bhattacharjee also said the traffic police have also agreed to help regulate the traffic with joint public outreach campaign and other enforcement measures.

Delhi govt warns city schools, asks them to de-concretise trees

MM BUREAU

New Delhi/ July 24

The Delhi government has warned city schools against concretisation of the bases of trees and plants within their campuses citing the National Green Tribunal's (NGT) orders. The department of Forests and Wildlife has issued an order to the Directorate of Education (DoE) and education departments of the three civic bodies-- east, north and south--- directing them to de-concretise the trees in their schools with 'immediate effect.' In Delhi, civic bodies run schools up to class 5 and the state government schools are up to Class 12. Last month, the forest department had fined Bikaner House authorities near India Gate Rs 18.70 lakh for concretising the base of at least 187 trees on their campus. The move has come after the department received complaints of concretised trees and plants in schools. "It has again been brought to our notice that concretisation of trees not only damages them, it is also an offence under the Delhi preservation of trees act, 1994. In addition it also amounts to contempt of court, being a violation of the NGT's order," the order stated. The schools are being asked to de-concretis e the trees. "It should be done manually without the use of JCB machines so that the roots are not damaged," the order added. The schools have also been asked to add a new clause of leaving trees de-concretised in their tenders for any fresh construction.

DPCC sends closure notice to 21 farm houses for flouting green norms

MM BUREAU

New Delhi/ July 24

The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has slapped fines and sent closure notices to at least 21 farmhouses with banquet facilities for allegedly flouting green norms and triggering pollution. "At least 21 farmhouses were sent closure notices and penalties ranging from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh were imposed on them for violating environment norms. In order to operate, they would have to pay the environment compensation and take permission from DPCC," said Arun Mishra, member secretary of the board. These farmhouses equipped with banquet halls, motels, swimming pools were located mostly in Rajokri and Mahipalpur areas along National Highway-8.

The Union Minister for Railways and Commerce & Industry, Shri Piyush Goyal launching the Global Innovation Index – 2019, in New Delhi.. The Secretary, DPIIT, Shri Ramesh Abhishek and other dignitaries are also seen.

DU syllabus row
ABVP demands early finalisation of syllabus

MM BUREAU

New Delhi/ July 24

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) on Tuesday protested outside the offices of five heads of departments of Delhi University, demanding their syllabi be finalised soon. The varsity's Executive Council on Monday had referred back the syllabi of four departments -- English, Political Science, History and Sociology -- following protests by a section of teachers over inclusion of certain topics in them.

The RSS-affiliated Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad on Monday marched outside the offices of the heads of departments of English, Sociology, Political Science, History and Hindi.

The ABVP said they are seeking support from the academic world for representation of the students with regard to the inclusion of three R's in the syllabus i.e., representation, review of syllabus and rational debate.

The parishad emphasised the need for democratisation of academia. Delhi University Students' Union president Shakti Singh said, "It is very unfortunate for the University of Delhi that while classes have started, the syllabus has not yet been prepared. "The entire Left-wing professors and the administration of Delhi University.

After eight long years, Delhi gets its first batch of 25 buses

MM BUREAU

New Delhi/ July 24

After a wait of more than eight years, Delhi on Tuesday received the first 25 buses of a planned fleet of 4,000 that are being purchased to augment the city's ailing public transport system.

In a first, the door of the newly arrived buses is equipped with hydraulic lifts to facilitate the differently-abled and senior citizens.

The buses, which are non-AC and come under the standard floor category, will be flagged off by chief minister Arvind Kejriwal next week.

A tour of these buses on Tuesday revealed that the buses are equipped with many new features which are a first for state-run buses in Delhi. Parked at the Rajghat depot, for now, each bus will also have a wheelchair which the conductor will offer to

those in need.

While reversing the bus, the drivers of the bus can see what lies behind it as the vehicle is equipped with a rearview camera as well. Each bus comes with a touch-enabled screen fixed near the driver's steering which displays a live feed of the rear view camera and cameras inside the buses. The buses are fitted with two cameras to ensure the safety of passengers.

A driver, who was at the depot and did not wish to be named, said maneuvering a bus, especially reversing it, requires assistance of the conductor at present. "Sometimes it is also on intuition and of course, the mirrors help too. In these new buses, we will get to see the live feed of not just the rear view camera, but also of the cameras fixed inside," he said.

Transport minister Kailash Gahlot said these 25 buses have marked the beginning of the Delhi government's transport revival project. "It is a small but a significant start to our plan of bringing 4,000 new buses in the Capital which also include 1000 electric buses, a first in the country. Our target is to bring all the buses by May 2020 after which Delhi's state-run bus fleet will increase to about 9,500," he said. An inside view of a new transit bus that includes features like surveillance cameras, panic button and ramp for disabled.

RAMA VISION LIMITED
Registered Office: Ward No. 3, Bareilly Road, Kichha, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand – 263148
CIN: L32203UR1989PLC015645
Tel: 05944-264263; Website: www.ramavisionltd.com
Email: srkgsl@ramavisionltd.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that Seventeenth meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 05th day of August, 2019 at 12:00 noon at the Corporate Office of the Company at Rama House, 23, Najafgarh Road Industrial Area, Shivaji Marg, New Delhi–110015, inter alia to consider and approve the Standalone Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2019.

The aforesaid intimation can also be accessed on the following website(s):
1. www.ramavisionltd.com
2. www.bseindia.com

For Rama Vision Limited
Sd/-
(Raj Kumar Sehgal)
G.M. (Legal) & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: July 24, 2019

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED
CIN : L65993DL1987PLC028669
Regd. Office : 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi – 110005., Tel: 011- 41450121
Email : moongipac@gmail.com Website : www.mongipa.com

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Thirty Second (32nd) Annual General Meeting ("AGM") of Moongipa Capital Finance Limited will be held on Thursday, August 22, 2019 at 10:00 a.m. at Bhan Farm, Qutub Garh Road, Tatesar Village, Delhi-110081 to transact the business mentioned in the Notice convering the AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are available on the Company's website at www.mongipa.com and also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Notice of AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on Wednesday, July 24, 2019.

In terms of Companies Act, 2013('Act'), Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is providing remote e-voting facility ("e-voting") to its members for voting on the business as specified in the Notice of AGM. For detailed instructions on e-voting, members are requested to refer Notice of AGM. In case of any queries or issues regarding remote e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 18002005533.

Members are informed that:

1) The e-voting period commences on Monday, August 19, 2019 (9:00 am) and ends on Wednesday, August 21, 2019 (5:00 pm). The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time.
2) A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, August 16, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at AGM through poll.
3) Members who have not cast their votes by e-voting may cast their votes at the AGM by way of poll.
4) A member may attend the AGM even after exercising his right to vote through e-voting, but shall not be eligible to vote at AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, August 16, 2019 may follow the same procedure as mentioned in the Notice of AGM for remote e-voting or may write to CDSL at evoting@cdsl.co.in or to the Company at moongipac@gmail.com for obtaining login ID & password. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting the vote.

In terms of Section 91 of the Act, rules made thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, August 19, 2019 to Thursday, August 22, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Moongipa Capital Finance Limited
Sd/-
Gulshan Ahuja
Company Secretary and Compliance officer

Date: July 24, 2019
Place: Delhi

MOONGIPA SECURITIES LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC057941
Regd. Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005, Tel: +91-011-41450121
Email: moongipas@gmail.com Website: www.moongipa.net

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Twenty Fifth (25th) **Annual General Meeting** ("AGM") of Moongipa Securities Limited will be held on **Thursday, August 22, 2019 at 11:00 a.m.** at **Bhan Farm, Qutub Garh Road, Tatesar Village, Delhi-110081** to transact the business mentioned in the Notice convening the AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are available on the Company's website at **www.moongipa.net** and also available on the website of CDSL at **www.evotingindia.com**. Notice of AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on Wednesday, July 24, 2019.

In terms of Companies Act 2013('Act'), Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is providing remote e-voting facility ("e-voting") to its members for voting on the business as specified in the Notice of AGM. For detailed instructions on e-voting, members are requested to refer Notice of AGM. In case of any queries or issues regarding remote e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or write e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call toll free no. 18002005533.

Members are informed that:

1) The e-voting period commences on Monday, August 19, 2019 (9.00 am) and ends on Wednesday, August 21, 2019 (5:00 pm). The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time.

2) A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, August 16, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at AGM through poll.

3) Members who have not cast their votes by e-voting may cast their votes at the AGM by way of poll.

4) A member may attend the AGM even after exercising his right to vote through e-voting, but shall not be eligible to vote at AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date **i.e.** Friday, August 16, 2019 may follow the same procedure as mentioned in the Notice of AGM for remote e-voting or may write to CDSL at **evoting@cdsl.co.in** or to the Company at **moongipas@gmail.com** for obtaining login ID & password. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting the vote.

In terms of Section 91 of the Act, rules made thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, August 19, 2019 to Thursday, August 22, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Moongipa Securities Limited
Sd/-
Sanjeev Jain
Company Secretary and Compliance officer

Date: July 24, 2019
Place: Delhi